UPSR010004062026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

जमानत आवेदन संख्या–1143/2026

राधेश्याम विश्वकर्मा उर्फ छुन्नन पुत्र दुखहरण विश्वकर्मा उम्र–35 वर्ष निवासी–भवनियापुर, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1– राज्य (उत्तर प्रदेश)

2– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती।

3– सी०डब्लू०सी०, जनपद–श्रावस्ती।

4–वादी बयजंती पत्नी मयंकर निवासी–भवनियापुर, दा०–किशुनपुर चोरवाभारी, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

.....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–46/2026
धारा–74,126(2),351 (2) बी०एन०एस०
व धारा–9(m)/10 पॉक्सो एक्ट
थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद– श्रावस्ती।

दिनांक–10–03–2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम विश्वकर्मा उर्फ छुन्नन द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–46/2026 धारा–74,126(2),351(2) बी०एन०एस० व धारा–9(m)/10 पॉक्सो अधिनियम, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत दिया गया है।

मामला लड़की/स्त्री के विरूद्ध लैंगिक अपराध से सम्बन्धित है। अतः **भारतीय न्याय संहिता की धारा–72(2)** में उल्लखित उपबन्धों एवं **ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006(4) सुप्रीम 313** एवं **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63) एस०सी०सी० 94 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के नाम का उल्लेख न करते हुये निर्णय में उसे "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया जायेगा।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी बयजन्ती पत्नी मयंकर ने प्रभारी निरीक्षक थाना–कोतवाली भिनगा को तहरीर दिनांक–30–01–2026 को इस आशय से दी कि उसकी लड़की पीड़िता उम्र–12 वर्ष दिनांक–30–01–2026

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.03.10 15:44:12 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

को कम्पोजिट विद्यालय किशनपुर चोरवा भारी में पढ़ने गयी थी। शाम करीब 3:00 बजे वादिनी की लड़की स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में विपक्षी राधेश्याम उर्फ छुन्नन ने वादिनी की लड़की का हाथ पकड़कर कर बलात्कार करने के लिए घसीटने लगा तथा छेड़खानी करने लगा। तब वादिनी की लड़की चिल्लाने लगी तब आस पास के बच्चे दौड़कर आए तब विपक्षी ने वादिनी की लडकी को छोड़कर भाग गया। विपक्षी निहायत ही गुण्डा किस्म का व्यक्ति है। विपक्षी कई बार घटना कर चुका है।

वादिनी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती में अभियुक्त राधेश्याम उर्फ छुन्नन के विरूद्ध मुकदमा अपराध धारा–74 बी०एन०एस० व धारा–9(m)/10 पॉक्सो अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–74,126(2),351(2) बी०एन०एस० व धारा–9(m)/10 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह कथन किया है कि वह दिनांक–01–02–2026 से जिला कारागार श्रावस्ती में निरूद्ध है और वह निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त तथाकथित घटना से अनभिज्ञ एवं अज्ञान है तथा महज वादिनी द्वारा परेशान करने हेतु विद्वैशपूर्ण तरीके से अभियुक्त को फंसाया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त की एफ०आई०आर० के अनुसार कोई भूमिका नहीं है और न ही उक्त घटना से कोई वास्ता सरोकार है। पीड़िता ने अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त पर कोई आरोप नहीं लगाया है। वादी मुकदमा तथा आवेदक/अभियुक्त के परिवार के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही है और उसी रंजिश के कारण मुकदमा लिखाया गया है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के पश्चात जमानत के शर्तों का दुरूपयोग नहीं करेगा। अभियोग में जिन गवाहों को साक्षी बनाया गया है उन से अभियुक्त की पहले से दुश्मनी है और उनके विरूद्ध पहले से मुकदमें चल रहे है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के पश्चात विवेचना में सहयोग करेगा, गवाहों को धमकायेगा नहीं और बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० की कार्यवाही के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत आवदन है। प्रथम जमानत आवेदन बल न देने के कारण निरस्त किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय से आवेदक/अभियुक्त का कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) की बहस को सुना और पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों व तर्को को ही दोहराया है और जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी

है। जबकि विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीड़िता के साथ बलात्कार करने के लिए घसीटते हुए छेडछाड़ किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने वाला एवं जघन्य है। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहरीर में पीड़िता की **आयु 12 वर्ष** दर्शित की गयी है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० में अपनी आयु लगभग **12 वर्ष** बतायी है और कक्षा–6 में पढना बताया है। विवेचक द्वारा पीड़िता के उम्र के सम्बन्ध में कम्पोजिट विद्यालय किशुनपुर चोरवाभार्र, विकास खण्ड–हरिहरपुर रानी, जनपद–श्रावस्ती के प्रधान शिक्षक द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र एकत्र किया था जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 05–01–2015 अंकित है। पीड़िता के उपरोक्त शैक्षिक अभिलेख से घटना दिनांक–30–01–2026 को पीड़िता की आयु **11 वर्ष 25 दिन** प्रथम दृष्टया साबित है।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि दिनांक–03–01–2026 को वह समय करीब 3:00 बजे **विद्यालय से अपने घर जा रही थी**। तभी गांव के बाहर ही गांव के रहने वाले **राधेश्याम उर्फ छुन्नन ने उसकी साइकिल पकड़कर उसे गिरा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे पापुलर के खेत में घसीट कर ले गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा**। तभी वह जोर–जोर से चिल्लायी तो बगल खेत में मौजूद बड़ी मम्मी मौके पर आ गयी। जिससे राधेश्याम मौके से फरार हो गया।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि राधेश्याम उर्फ छन्नन का घर उसके घर के सामने दक्षिण में है। **वह उसके पापा के भाई पाट्टीदार है। 30 जनवरी 2026 को वह अपने स्कूल से छुट्टी होने बाद लगभग 3:00 बजे के आसपास घर साइकिल से लौट रही थी**। साथ में दूसरी साइकिल से फिरोज व नेहा भी घर आ रही थी। लौटते समय जब वह घर पहुँचने वाली थी तभी सड़क पर छन्नन दादा आ रहे थे। छन्नन फोन पर बात कर रहे थे। **उसे उसका हाथ पकड़कर रोका**। फिरोज और नेहा को डांट कर भगा दिया। **उसे साइकिल से गिरा दिया**। छन्नन ने कहा कि झलियारे ने आपको पटाया है। झालरे गांव का ही है। वह कहा कि गलत बात है। तब उसे खेत में घसीट ले गये। पापुलर का खेत था। उसे कोई चोट नहीं आयी थी। वह स्कूल का ड्रेस पहनी थी। उसे खेत तक जमीन में घसीटा था। **उसके चिल्लाने पर बड़ी मम्मी सुशीला देवी आ गयी और उसके दादा भी आ गये थे**। तब छन्नन हाथ छोड़कर खेत में छुप गया। उसके साथ गलत काम नहीं किया है।

छेड़खानी कर रहा था। छन्नन ने उसके पापा से पहले शिकायत की थी कि झालरे ने उसे पटाया है। छन्नन ने उसे धमकाया था कि वह सबको बता देगा कि झालरे से चक्कर चलायी हो। **जब वह उसके दुकान पर जाती थी तब उसके साथ गाली गलौज करते थे**। उसके घर से छन्नन के घर खानपान बंद है। उसके घर से और छन्नन के घर से और कोई विवाद नहीं है। **उसके बारे में पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला दिया है**।

पीड़िता के उपरोक्त बयानो से स्पष्ट है कि अभियुक्त अपनी लगभग 11 वर्षीय अवयस्क पट्टीदारी की भतीजी पीड़िता को स्कूल से लौटते समय साइकिल से गिरा दिया और उसको घसीटते हुए पापुलर के खेत में ले गया और पीड़िता के साथ छेडखानी की। पीड़िता द्वारा अपने बयान में फिरोज (11 वर्ष) व नेहा विश्वकर्मा (11 वर्ष) एवं सुशीला देवी व जिलेदार को चश्मदीद साक्षी बताया है। विवेचक द्वारा उक्त चश्मदीद साक्षियों के बयान लिये गये और उक्त सभी साक्षियों ने विवेचक को दिये बयान में घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा अपनी भतीजी के साथ स्कूल से लौटते हुये छेडछाड की घटना कारित की गयी है। जो समाज को कलंकित करने वाली है। जहाँ तक रंजिशन झूठा मुकदमा दर्ज कराये जाने का प्रश्न है तो सामान्यतः अपनी 11 वर्षीय पुत्री को इस प्रकार के लज्जा पूर्ण मुकदमें में कोई व्यक्ति रंजिशन फंसाये यह भारतीय परिवेश में अत्यन्त विरल है। अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य से यह भावना उत्पन्न होती है कि समाज में बालिकाएं अपने परिजनों से भी सुरक्षित नहीं हैं और इसका समाज पर विपरीत प्रभाव होना स्वाभाविक है। थाना–कोतवाली भिनगा की आख्या के अनुसार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के रूप में मुकदमा अपराध संख्या–654/2022 धारा–323,325,504,506 भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती दर्शित किया गया है। मामला अभी विवेचना के स्तर पर है। अतः मामले की परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा निष्पक्ष विवेचना एवं विचारण हेतु अभियुक्त को रिहा किया जाना उचित नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम विश्वकर्मा उर्फ छन्नन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–46/2026 धारा–74,126(2),351(2) बी०एन०एस० व धारा–9(m)/10 पॉक्सो अधिनियम, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–10–03–2026

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।